

सामाजिक विज्ञान

(नागरिक शास्त्र)


अध्याय-3: राज्य शासन कैसे काम करता है



भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। चूंकि देश विभिन्न राज्यों में विभाजित है, इसलिए लोग न केवल केंद्र सरकार के सदस्यों का चुनाव करते हैं, बल्कि उस राज्य की सरकार भी चुनते हैं जिसमें वे रहते हैं।

राज्य में चुनाव

- भारत में, प्रत्येक राज्य में एक सरकार होती है जो उस राज्य के प्रशासन को देखती है। राज्य कई क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है।
- प्रत्येक राज्य में उसके आकार के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भिन्न होती है।
- सिक्किम में 32 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में 403 हैं, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक विधायी निर्वाचन क्षेत्र हैं,
- लोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो राज्य विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व करता है।



जनता अपने प्रतिनिधी का खुद चुनाव करती है

- राज्य के चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने वाला व्यक्ति विधान सभा का सदस्य या विधायक बन जाता है।
- निर्वाचित विधायक विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित हो सकते हैं।
- एक राजनीतिक दल जिसके विधायक किसी राज्य के विधानसभा चुनावों में आधी से अधिक सीटें जीतते हैं, सत्ताधारी दल बन जाता है और उस राज्य में सरकार बनाता है। अन्य राजनीतिक दलों के विधायक 'विपक्ष के सदस्य' बन जाते हैं।
- चुनाव के बाद, सत्तारूढ़ दल के विधायक मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने नेता (जिन्हें विधायक के रूप में भी चुना गया है) का चुनाव करते हैं।
- मुख्यमंत्री बदले में अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है, जो विभिन्न विभागों को देखते हैं।
- एक विधान सभा में, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सभी निर्वाचित विधायक मिलते हैं और सरकार के कानूनों और कामकाज पर चर्चा करते हैं।

- एक विधायक जो मंत्री भी है, उसे न केवल अपने विभाग के कामकाज को देखना होता है बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र के विकास को भी देखना होता है जहां से वह चुना जाता है।



पृथ्वीराज चावाण 2010 से 2014 के बीच
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के साथ - साथ
करोड चुनाव क्षेत्र से विधायक भी थे

- जबकि सरकार राज्य के समग्र विकास की देखभाल करती है, एक विधायक उस निर्वाचन क्षेत्र के विकास की देखभाल करता है जहां से वह निर्वाचित होता है।
- कोई अधिनियम तभी कानून बन सकता है जब उसे विधान सभा के सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है। सदस्य चर्चा कर सकते हैं और बहस कर सकते हैं और सरकार के कामकाज के बारे में सवाल पूछ सकते हैं।

विधान सभा की शक्तियां और कार्य

विधान सभा के पास मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। ये विधायी और वित्तीय शक्तियां हैं।

विधायी शक्ति: प्रशासन के विषयों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है। ये हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। विधान सभा राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के लिए कानून बनाती है।

वित्तीय शक्ति: विधानसभा राज्य के बजट, धन विधेयक, कर लगाने की अनुमति और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन तय करने की अनुमति देती है।

धन विधेयक हमेशा विधानसभा में पेश किए जाते हैं।

विधायक

विधानसभा में सदस्य को विधायक (MLA) कहा जाता है मॅबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।

- इनका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है।

- यह मिलकर सरकार का गठन करते हैं।

एक विधेयक कानून कैसे बनता है

बिल दो प्रकार के होते हैं: मनी बिल और नॉन-मनी बिल। धन विधेयक विधानसभा में पेश किया जाता है और गैर-धन विधेयक विधान सभा या विधान परिषद में पेश किया जा सकता है। किसी विधेयक को पारित करने के लिए तीन चरण होते हैं।

- **प्रथम चरण:** इस चरण में विधेयक पेश किया जाता है और उसका शीर्षक सदस्यों को पढ़ा जाता है।
- **दूसरा चरण:** सदन बिल को उन चयनित समितियों को संदर्भित करता है जहां विस्तृत चर्चा होती है। इसे सेकेंड रीडिंग कहा जाता है।
- **तीसरा चरण:** तीसरे वाचन में बिल दूसरे सदन में जाता है और उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

3 महीने के निर्धारित समय के बाद बिल को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। अंत में यह राज्यपाल की सहमति के लिए जाता है। धन विधेयकों के मामले में विधान परिषद सिफारिशें कर सकती है। यह विधेयक को केवल 14 दिनों के लिए विलंबित कर सकता है लेकिन इसे 14 दिनों के बाद विधान सभा में पारित किया जाना चाहिए।

निर्वाचन क्षेत्र

इसका अर्थ एक निश्चित क्षेत्र से है यहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उदाहरण यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है।

- राज्यों को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है
- प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का एक विधायक होता है

सत्ता पक्ष

जिस राजनीतिक दल के विधायक बहुमत में जीत जाते हैं वह सरकार बनाते हैं और मुख्यमंत्री उसी दल का होता है इसे सत्ता पक्ष या सत्तारूढ़ पार्टी कहते हैं।

विरोधी पक्ष :- अन्य जीते हुए विधायक विरोधी पक्ष होंगे।

राज्यपाल की शक्तियां

कार्यकारी शक्तियाँ: बहुमत दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। वह अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। वह अन्य शीर्ष अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है।

विवेकाधीन शक्ति: राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। कुछ स्थितियों में उसे स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे विवेकाधीन शक्ति कहा जाता है। कभी-कभी जब राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है तो वह विवेकाधीन निर्णय ले सकता है।

विधायी शक्ति: राज्यपाल चुनाव के बाद विधानसभा के पहले सत्र का उद्घाटन करते हैं। विधान सभा द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को उसकी स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। यदि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है तो वह अध्यादेश या कानून पारित कर सकता है।

वित्तीय शक्ति: कोई भी धन विधेयक या बजट राज्यपाल की मंजूरी के बिना सदन में पेश नहीं किया जा सकता है।

न्यायिक शक्ति: राज्यपाल राज्य के कानूनों के तहत दोषी लोगों की सजा को क्षमा या कम कर सकता है।

स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थीं। 1947 में उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था।

बहुमत

इसका आश्चर्य ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोगों किसी निर्णय या विचार से सहमत हो इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है।

मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद

राज्य के प्रशासन के संबंध में सभी शक्तियां मुख्यमंत्री और उनके मंत्रालय के पास हैं। वह तब तक सत्ता में रहता है जब तक उसे सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।

मुख्यमंत्री की शक्ति और कार्य मुख्यमंत्री उस सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का नेता होता है जिसे चुनाव में बहुमत मिला है। वह राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से उनके प्रति जवाबदेह होता है। उसकी प्रमुख शक्तियाँ हैं:-

- नीतियों का निर्धारण करता है।
- राज्य के प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है।
- सभी मंत्रियों को विभाग आवंटित करता है।
- मंत्रिपरिषद के कार्य का समन्वय करता है।

मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य राज्य का प्रशासन विभिन्न विभागों के माध्यम से होता है और विभिन्न मंत्री विभागों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्य कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार विभागों का संचालन करना है। वे विधानसभा में चर्चा और अनुमोदन के लिए विधेयक लाते हैं।

सरकार की कार्यप्रणाली

- मुख्यमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है जो विभिन्न मंत्रियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है।
- राज्य के मंत्री स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, राजस्व, लोक निर्माण विभाग आदि जैसे विभिन्न विभागों के प्रमुख होते हैं। वे नीतियां बनाते हैं और अपने विभाग के कामकाज की निगरानी करते हैं।
- सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विभिन्न मामलों पर राज्य के लिए नए कानून पारित कर सकती है।
- मंत्रियों को विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा उनके विभागों के कामकाज के संबंध में पूछे गए सवालों का भी जवाब देना होता है।
- मीडिया जैसे टेलीविजन नेटवर्क और समाचार पत्र मंत्रियों और उनके विभागों के कामकाज के संबंध में कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कोई भी हानिकारक नीति सार्वजनिक मंच पर बहस और गरमागरम चर्चा का कारण बन सकती है।
- सरकार को विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया देनी होगी। वे न केवल विधायिका में विपक्ष के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं बल्कि अपने द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों की व्याख्या और बचाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं।

हम पाते हैं कि लोकतंत्र में “लोग” सर्वोच्च होते हैं। वे राज्य के चुनावों में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अगर कोई विधायक लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो लोग अगले आम चुनाव में उसे वोट नहीं देंगे। इसलिए, राज्य के चुनावों में लोगों का मुख्य अधिकार होता है।

NCERT SOLUTIONS

प्रश्न (पृष्ठ संख्या 41)

प्रश्न 1 निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है ?

उत्तर - विधानसभा के लिए निर्धारित सीटों की संख्या के आधार पर राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुना गया सदस्य उस क्षेत्र का विधायक कहलाता है। विधानसभा चुनावों में जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिलते हैं, वह उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि होता है।

प्रश्न 2 कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं ? स्पष्ट कीजिए।

उत्तर - विधानसभा चुनावों में जो दल बहुमत प्राप्त करता है, उसके विधायक अपना एक नेता चुनते हैं, जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री अपने दल के विधायकों में से कुछ विधायकों को मंत्री के रूप में चुनता है। इन विधायकों को राज्यपाल मंत्री नियुक्त कर देता है और मुख्यमंत्री उन्हें कोई मंत्रालय सौंप देता है।

प्रश्न 3 मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए ?

उत्तर - बहस के माध्यम से सभी सरकारी फैसलों की जानकारी जनता को मिलती है, जिससे जनमत उभरकर आता है। इससे सरकार के निर्णयों का मूल्यांकन होता है। बहस सरकार को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार का अवसर प्रदान करती है।

प्रश्न 4 पातालपुरम में क्या समस्या थी ? निम्नलिखित के द्वारा इस विषय में क्या चर्चा या कार्य किए गए ? निम्न तालिका में भरिए।

आम सभा :-
विधानसभा :-
प्रेसवार्ता :-
मुख्यमंत्री :-

उत्तर – पातालपुरम में पानी की गंभीर समस्या थी जो धीरे धीरे हैजे का रूप ले रही थी। और सबसे पहले यह समस्या बच्चों में पनप रही थी।

आम सभा :- आम सभा इस बारे में चर्चा कर रही थी की सरकार न जाने कब सभी को स्वच्छ पानी प्रदान करेगी। हैजे की बीमारियों से निपटेगी और कब अस्पताल, डॉक्टर व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
विधानसभा :- पातालपुरम में होने वाली समस्याओं का निपटाराने सरकार कब करेगी इसके बारे में जवाब मांग रही थी।
प्रेसवार्ता :- सरकार से एक एक करके सभी सवाल पूछ रही थी। और जनता तक सभी बातें समाचार पत्र और टीवी द्वारा पहुंचा रही थी।
मुख्यमंत्री :- मुख्यमंत्री पातालपुरम जाकर वहां की स्थिति देखने के साथ मरीजों से भी मिल रहे थे और आश्वासन दे रहे थे कि वे सभी परेशानियां जल्द ही दूर करेंगे।

प्रश्न 5 विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है ?

उत्तर –

- **विधानसभा सदस्यों द्वारा विधायिका में किए जाने वाले कार्य जैसे :-** विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में भाग लेते हैं। विधायक मंत्रियों से मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। विधायक सरकार का ध्यान विभिन्न मुद्दों की ओर दिलाते हैं।
- **शासकीय विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्य :-** शासकीय विभाग सरकार द्वारा दिए गए दिशा – निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। शासकीय विभाग द्वारा दी गयी जानकारी

विधानसभा में रखी जाती है। शासकीय विभाग मंत्रियों को उनके कार्यों के बारे में सलाह देते हैं।

SHIVOM CLASSES
8696608541